94/2015 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 94/2015 अनवानी सुल्तानराम पुत्र मन्सीदेवी पत्नि सरदाराराम जाति कुम्हार निवासी संघर तहसील सूरतगढ बनाम 1–खेतपाल पुत्र जगमाल जाति जाट नि0 4 एमएल तहसील श्रीगंगानगर 2–बाधुदेवी बेवा मनफुलराम 3–सीमादेवी 4–राजपाल 5–सन्दीप 6– तहसीलदार गंगानगर

20.02.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सुखराज एवं उसके अभिभाषक श्री सुखराज चारण को बार बार आवाज लगवाई गई, किन्तु वे उपस्थित नही आये। अप्रार्थी खेतपाल के अभिभाषक श्री मनोहरलाल सहारण उपस्थित है। अप्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी खेतपाल के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित अनवानी वाद गुरदयालराम आदि बनाम खेतपाल आदि मय प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है और नये उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

मैने अप्रार्थी के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित अनवानी वाद गुरदयालराम आदि बनाम खेतपाल आदि मय प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है और नये उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर भी लिया है। प्रार्थी सुल्तानराम व उनके अभिभाषक को बार बार आवाज लगवाने बावजूद भी वे उपस्थित भी नही आये है जिससे प्रतीत होता है कि उन्हे इस मामले में कोई दिलचस्पी नही है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

456
28-2-17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा1रा1

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर